भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3025

उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

पंजाब में अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी उपाय

† 3025. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत शामिल करने हेतु पंजाब में सभी पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की पहचान कर ली है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पंजाब में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनजातिय कल्याण के लिए पर्याप्त निधि दी गई है और उनका उपयोग किया गया है और यदि हाँ, तो इनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सीमावर्ती जिलों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए नई आजीविका और कौशल विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): आरजीआई द्वारा प्रकाशित 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

(ख): ईएमआरएस स्कूलों को क्रियान्वित करने का मानदंड 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20000 जनजातीय व्यक्तियों के निवास करने वाले ब्लॉक हैं। इसलिए प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पंजाब में यह मानदंड पूरा नहीं होता है।

(ग) और (घ): उत्तर के भाग क के विवरण के अनुसार इसका प्रश्न नहीं उठता है।

*****